बैंक ऑफ बड़ौदा	फॉर्म 10 नामांकन/नामांकन रद्दीकरण हेतु फॉर्म (वैयक्तिकों द्वारा एकल या संयुक्त रूप से आवेदन करने के लिए भरा जाए)	NSDL

दिनांक	D	D	M	Y	Y	Y	Y	डीपी आई डी	I	N							ग्राहक आईडी							

☐ मैं/हम एक नामांकन करना चाहते है. [नीचे दिए गए विवरण के अनुसार]

☐ मैं/हम पूर्व में मेरे/हमारे द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करना चाहता हूँ/ चाहती हूँ/ चाहते हैं तथा परिणामस्वरूप उक्त खाते में मेरे/हमारे द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों में लाभार्थी स्वामित्व से संबंधित सभी अधिकार एवं दायित्व मेरे /हमारे पास ही रहेंगे.

मैं/हम नामांकन करना चाहते है तथा एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को नामांकित करते हैं जो मेरी/हमारी मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त लाभार्थी स्वामित्व खाते में मेरे/हमारे द्वारा डिपॉजिटरी में रखी गयी सभी प्रतिभूतियों को प्राप्त करेंगे.

	खाते में तीन नामांकितों तक नामांकन किया जा सकता है.	प्रथम नामिती का विवरण	द्वितीय नामिती का विवरण	तृतीय नामिती का विवरण
1	नामिती (यों) के नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)			
2	प्रत्येक नामिती का हिस्सा — समान रूप से [यदि समान रूप से नहीं है तो कृपया प्रतिशत विनिर्दिष्ट करें]	%	%	%
		विभाजन के पश्चात कोई भी विषम लॉट फॉर्म में उल्लिखित प्रथम नामिती को हस्तांतरित किया जाएगा.		
3	आवेदक के साथ संबंध (यदि कोई हो)			
4	नामिती/नामितियों का पता पिन कोड			
5	नामिती/नामितियों का के मोबाइल/दूरभाष स.			
6	नामिती/नामितियों के ई-मेल आइडी			
7	नामिती के पहचान संबंधी विवरण– [कृपया निम्नलिखित में से किसी एक को टिक करें तथा उससे संबन्धित ब्यौरा दें] ☐ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ☐ पैन ☐ आधार ☐ बचत खाता सं. ☐ पहचान प्रमाण-पत्र ☐ डीमैट खाता आईडी			
क्रम सं. 8-14 नामिती /नामितियों के अवयस्क होने की दशा मे ही भरे जाएं :				
8	जन्मतिथि {यदि नामिती अवयस्क हैं }			
9	अभिभावक के नाम (श्री/श्रीमती) { यदि नामिती अवयस्क है}			
10	अभिभावक (कों) का पता पिन कोड			
11	अभिभावक का मोबाइल/दूरभाष सं.			
12	अभिभावक का ई-मेल आई-डी			
13	नामिती के साथ अभिभावक का संबंध			
14	अभिभावक के पहचान संबंधी विवरण– [कृपया निम्नलिखित में से किसी एक को टिक करें तथा उससे संबन्धित ब्यौरा दें] ☐ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ☐ पैन ☐ आधार ☐ बचत खाता संख्या ☐ पहचान प्रमाण-पत्र ☐ डीमैट खाता आईडी			

	धारक (कों) के नाम	धारक (कों) के हस्ताक्षर
एकल/ प्रथम धारक/अभिभावक (यदि एकल धारक अवयस्क है) (श्री/श्रीमती)		X
द्वितीय धारक (श्री/श्रीमती)		X
तृतीय धारक (श्री/श्रीमती)		X

नामांकन हेतु साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के नाम	पता	साक्षी के हस्ताक्षर
		तारीख D D M M Y Y Y Y

नोट :

1. नामांकन केवल लाभार्थी मालिक के खातों को अपनी ओर से एकल या संयुक्त रूप से रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है. समाज, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट निकाय और साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता, मुख्तारनामा के धारक सहित गैर-वैयक्तिक नामांकित नहीं कर सकते हैं. यदि खाता संयुक्त रूप से रखा गया है तो सभी संयुक्त धारक नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे.
2. नाबालिग को नामांकित किया जा सकता है. ऐसे मामलों में, लाभार्थी स्वामी द्वारा नाबालिग नामिती के अभिभावक का नाम और पता प्रदान किया जाएगा.
3. नामिती ट्रस्ट, समाज, कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी फर्म, अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्ता अथवा किसी मुख्तारनामा के धारक नहीं होंगे. समय-समय पर लागू विनिमय नियंत्रणों के अधीन कोई अनिवासी भारतीय नामिती हो सकता है.
4. लाभार्थी स्वामित्व खाते के बंद होने पर लाभार्थी स्वामित्व खाते के संबंध में नामांकन रद्द हो जाता है. इसी प्रकार, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण होने पर प्रतिभूतियों के संबंध में भी नामांकन समाप्त हो जाएगा.
5. नामिती (यों) के पक्ष में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण डिपॉजिटरी और कानूनी वारिसों के विरूद्ध प्रतिभागी द्वारा वैध डिस्चार्ज होगा.
6. नामांकन का निरसन केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा एकल संयुक्त रूप से स्वयं अपनी ओर से लाभार्थी स्वामित्व खातों का रखने वाले व्यक्ति को द्वारा ही किया जा सकता है जिन्होंने मूल नामांकन किया था. समाज, न्यासी, कॉर्पोरेट निकाय एवं साझेदारी फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार के कर्ता, मुख्तारनामा के धारक सहित गैर-वैयक्तिक नामांकन रद्द नहीं कर सकते हैं. यदि लाभार्थी स्वामित्व खाता संयुक्त रूप से रखा जाता है तो सभी संयुक्त धारक निरसन फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे.
7. नामांकन के निरस्त हो जाने पर नामांकन रद्द हो जाएगा और डिपॉजिटरी नामिति (यों) के पक्ष में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए किसी भी दायित्व के अंतर्गत नहीं होगी.
8. किसी डीमेट खाते में तीन नामितियों तक नामांकन किया जाता है. कई नामितियों के मामले में ग्राहक को प्रत्येक नामिती के लिए हिस्से का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना अनिवार्य है जो कुल 100% तक होगा. यदि लाभार्थी स्वामी प्रत्येक नामितियों के लिए कोई आवंटन हिस्से का कोई प्रतिशत नहीं दर्शाता है तो डिफॉल्ट विकल्प सभी नामितियों के बीच दावे को समान रूप से निपटाने के लिए होगा.
9. लाभार्थी स्वामी द्वारा मौजूदा नामितियों के प्रतिस्थापन के अनुरोध पर पहले का नामांकन रद्द हो जाएगा तथा प्रतिस्थापन के समय पर फॉर्म 10 में उल्लेखित अनुसार नामितियों के विवरण पर विचार किया जाएगा अतः कृपया सभी नामांक की तो कि पूरे विवरण का उल्लेख करें.
10. पहचान के साक्ष्य की प्रति के साथ सत्यापन हेतु मूल प्रति संलग्न होनी चाहिए अथवा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की गई होनी चाहिए. (जैसा कि अनुलग्नक बी में दर्शाया गया हो)
11. बचत बैंक खाता विवरण केवल तभी मान्य होगा जब खाता उसी प्रतिभागी के पास रखा गया हो.
12. जहां डीमैट विवरण दिया जाना आवश्यक हो वहां डीपी आई डी और ग्राहक आई डी (client ID) भी दिए जाए.

Bank of Baroda	**FORM 10** **FORM FOR NOMINATION/ CANCELLATION OF NOMINATION** (*To be filled in by individual applying singly or jointly*)	NSDL Technology, Trust & Reach

Date	D	D	M	Y	Y	Y	Y	**DP ID**	I	N							**Client ID**								

☐ I/We wish to make a nomination. [*As per details given below*]

☐ I/We wish to cancel the nomination made by me/ us earlier and consequently all rights and liabilities in respect of beneficiary ownership in the securities held by me / us in the said account shall vest in me/ us. [*Strike off the nomination details below*]

Nomination Details

I/We wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) who shall receive all securities held in the Depository by me / us in the said beneficiary owner account in the event of my / our death.

Nomination can be made upto three nominees in the account.		**Details of 1st Nominee**	**Details of 2nd Nominee**	**Details of 3rd Nominee**
1	**Name of the nominee(s) (Mr./Ms.)**			
2	**Share of each Nominee** — Equally ☐ [If not equally, please specify percentage]	%	%	%
		Any odd lot after division shall be transferred to the first nominee mentioned in the form.		
3	**Relationship With the Applicant (If Any)**			
4	**Address of Nominee(s)** PIN Code			
5	**Mobile/Telephone No. of nominee(s)**			
6	**Email ID of nominee(s)**			
7	**Nominee Identification details – [**Please tick any one of following and provide details of same] ☐ Photograph & Signature ☐ PAN ☐ Aadhaar ☐ Saving Bank account no. ☐ Proof of Identity ☐ Demat Account ID			
Sr. Nos. 8-14 should be filled only if nominee(s) is a minor:				
8	**Date of Birth {in case of minor nominee(s)}**			
9	**Name of Guardian (Mr./Ms.) {in case of minor nominee(s) }**			
10	**Address of Guardian(s)** PIN Code			
11	**Mobile/Telephone no. of Guardian**			
12	**Email ID of Guardian**			
13	**Relationship of Guardian with nominee**			
14	**Guardian Identification details – [**Please tick any one of following and provide details of same] ☐ Photograph & Signature ☐ PAN ☐ Aadhaar ☐ Saving Bank account no. ☐ Proof of Identity ☐ Demat Account ID			

	Name(s) of holder(s)	**Signature(s) of holder**
Sole/ First Holder/ Guardian (*in case sole holder is minor*) (Mr./Ms.)		X
Second Holder (Mr./Ms.)		X
Third Holder (Mr./Ms.)		X

Signature of Witness for Nomination

Name of the Witness	**Address**	**Signature of witness**
		Date D D M M Y Y Y Y

Notes:

1. The nomination can be made only by individuals holding beneficiary owner accounts on their own behalf singly or jointly. Non- individuals including society, trust, body corporate and partnership firm, karta of Hindu Undivided Family, holder of power of attorney cannot nominate. If the account is held jointly, all joint holders will sign the nomination form.

2. A minor can be nominated. In that event, the name and address of the Guardian of the minor nominee shall be provided by the beneficial owner.

3. The Nominee(s) shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided Family or a power of Attorney holder. A non-resident Indian can be a Nominee, subject to the exchange controls in force, from time to time.

4. Nomination in respect of the beneficiary owner account stands rescinded upon closure of the beneficiary owner account. Similarly, the nomination in respect of the securities shall stand terminated upon transfer of the securities.

5. Transfer of securities in favour of a Nominee(s) shall be valid discharge by the depository and the Participant against the legal heir.

6. The cancellation of nomination can be made by individuals only holding beneficiary owner accounts on their own behalf singly or jointly by the same persons who made the original nomination. Non- individuals including society, trust, body corporate and partnership firm, karta of Hindu Undivided Family, holder of power of attorney cannot cancel the nomination. If the beneficiary owner account is held jointly, all joint holders will sign the cancellation form.

7. On cancellation of the nomination, the nomination shall stand rescinded and the depository shall not be under any obligation to transfer the securities in favour of the Nominee(s).

8. Nomination can be made upto three nominees in a demat account. In case of multiple nominees, the Client must specify the percentage of share for each nominee that shall total upto hundred percent. In the event of the beneficiary owner not indicating any percentage of allocation/share for each of the nominees, the default option shall be to settle the claims equally amongst all the nominees.

9. On request of Substitution of existing nominees by the beneficial owner, the earlier nomination shall stand rescinded. Hence, details of nominees as mentioned in the FORM 10 at the time of substitution will be considered. Therefore, please mention the complete details of all the nominees.

10. Copy of any proof of identity must be accompanied by original for verification or duly attested by any entity authorized for attesting the documents, as provided in Annexure D.

11. Savings bank account details shall only be considered if the account is maintained with the same participant.

12. DP ID and client ID shall be provided where demat details is required to be provided.